AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा। 31.10.2021

बड़ी कार्यवाही करते हुए एसओजी टीम व थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा बावरिया गैंग के गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्षों से वांछित रू0 20,000/- इनामी अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार....

जनपद में लूट, डकैती, चोरी आदि घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा **"श्री सुधीर कुमार सिंह"** के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में एसओजी टीम व थाना प्रभारी हरीपर्वत को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 31.10.2021 को थाना हरीपर्वत पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन हेतु सूरसदन के पास चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना अछनेरा से इनामी अभियुक्त रामबाग की ओर से अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से भगवान टॉकीज की ओर आ रहा है एवं किसी घटना को अपने साथियों के साथ योजना बनाकर अंजाम देने की सम्भावना है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराके बताये स्थान भगवान टॉकीज के पास बैरियर लगाकर थाना हरीपर्वत व एसओजी टीम चैकिंग करने लगे। कुछ समय बाद एक स्विफ्ट डिजायर कार आती हुयी दिखायी दी। पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा करने पर कार सवार द्वारा स्पीड बड़ाकर दयालबाग की तरफ गाड़ी को लेकर पहुंच गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर खासपुर चौराहा पोइया घाट के पास ओवरटेक कर गाड़ी को रोकने की कोशिश की गयी। इस पर अभियुक्त द्वारा गाड़ी को तेजी से बैक कर मोड़ने की कोशिश करने पर पोल से टकरा कर बन्द हो गयी। अपने आप को घिरता देख भागते हुए अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की जाने लगी। पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने आप का बचाव कर अभियुक्त पर जवाबी फायर किया गया, जिससे अभियक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा मय 03 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बरामद हुयी। इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा में मु0अ0सं0 353/21 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 354/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम अमित बावरिया बताया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे ऊपर थाना अछनेरा से इनाम घोषित है इसलिए

मैं पुलिस से बचने के लिए अवैध तमंचा अपने पास रखता हूं। बरामद गाड़ी के सम्बन्ध में बताया गया कि यह मेरी गाड़ी है जिसे में लूट व डकैती करने के लिए इस्तेमाल करता हूं।

अपराध का तरीका :–

बावरियों के अपराध करने का तरीका आम बदमाशों से अलग है। यह लोग लूट व डकैती के दौरान बर्बर तरीके से घर के सदस्यों पर हमला करते हैं सिर पर डंडे से प्रहार करते हैं। बाबरियों के गैंग में महिलाऐं बच्चे शामिल रहते हैं। दिन में महिलाऐं विभिन्न आवासीय इलाकों में रैकी करती हैं तथा इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से गैंग के पुरूष सदस्यों के साथ रात को जाकर बच्चे के रोने की आवाज डकैती करने वाले घर के सामने निकालती हैं। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अक्सर लोग घर के दरवाजे खोल देते हैं और गैंग के पुरूष घर में घुस जाते है। घर में घुसते ही यह लोग घर के सभी सदस्यों को के सिर पर प्रहार कर घायल कर देते हैं तथा लूट व डकैती को अन्जाम देते हैं। वारदात से पहले बाबरिया काली की पूजा कर के निकलते हैं। दैनिक खर्चे के लिए बाबरिया गैंग की महिलाऐं दिन में भीड़ भरे बाजारों में महिलाओं के आभूषण चुराकर अपने साथ चल रही दूसरी सदस्य को दे देती हैं, जो वहां से आभूषण लेकर गायब हो जाती हैं।

विशेष :– अभियुक्त अमित का पिता गैंग सरगना ओमवीर बाबरिया द्वारा उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न जनपदों में ठिकाने बनाये गये हैं। ओमवीर बावरिया अभी हाल में 01 लाख का जनपद गोंडा से इनामी था, जो मथुरा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अमित बाबरिया ओमवीर गैंग का प्रमुख सरगना है। इसके द्वारा गैंग बनाकर लूट व डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त पर लगभग एक दर्जन लूट एवं डकैती के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं। यह एक अत्यन्त शातिर अभियुक्त है।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा पूर्व में अभि0 अमित बावरिया पर रू0 20,000/– का इनाम घोषित किया गया था।

➢गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. अमित बाबरिया पुत्र ओमवीर बाबरिया नि0 ब्रजधाम कालौनी थाना हाईवे जनपद मथुरा।

➢बरामदगी का विवरण :–

01. 01 अवैध तमन्चा मय 03 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
02. 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर लूट डकैती में प्रयुक्त(आरजे 02 सीसी 5467)।

➢आपराधिक इतिहास :–

04. मु0अ0सं0 438/19 धारा 395/397/ 412 भादवि थाना अछनेरा जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 36/20 धारा 398/401 भादवि थाना अछनेरा जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 40/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अछनेरा जनपद आगरा।
04. मु0अ0सं0 426/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अछनेरा जनपद आगरा।
05. मु0अ0सं0 353/21 धारा 307 भादवि थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
06. मु0अ0सं0 354/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।

07. मु0अ0सं0 160/16 धारा 147/148/149/420/467/471/307 भादवि थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

ज्ञात अन्य जनपदों से मुकदमों की जानकारी की जा रही है।

➢ पुलिस टीम :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार मय टीम थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. उ0नि0 श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद आगरा।
03. उ0नि0 सचिन धामा प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद आगरा।
04. उ0नि0 मोहित कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
05. उ0नि0 राजकुमार बालियान थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
05. है0का0 आदेश त्रिपाठी सर्विलांस टीम जनपद आगरा।
06. हे0का0 विपिन कुमार, का0 लोकेश कुमार, का0 मुकुल शर्मा, का0 वसीम अकरम, का0 मानवेन्द्र उपाध्याय, का0 राकुल कुमार एसओजी टीम आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।